

शशि थरुर भारत सरकार के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेंगे

यह प्रतिनिधि मण्डल, 22 मई को अमेरिका जायेगा, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 मई। तिरुवन्तपुरम सांसद शशि थरुर द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान तथा बाद में नरेन्द्र मोदी सरकार का बचाव करने पर, जहाँ उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी उनसे अप्रसन्न है, वहीं केन्द्र सरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है, जो अमेरिका को पाकिस्तानी आतंक के विषय में वस्तुस्थिति की जानकारी देगा, भारत सरकार ने पूरी दुनिया को पाक प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी देने की योजना बनाई है।

शशि थरुर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के ऐसे प्रमुख नेताओं के रुपमें 'उभर कर आये हैं, जिन्होंने पहलगाम में हुई हत्याओं के बाद पाकिस्तान पर मोदी सरकार के हमले का जोरदार समर्थन एवं बचाव किया है। थरुर द्वारा किये जा रहे मोदी

- थरुर के अलावा ए.आई.एम.आई.एम. के नेता असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के दूसरे नेता होंगे, जिन्हें प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया जायेगा।
- ओवैसी ने प्र.मंत्री मोदी की सरकार को भारी समर्थन दिया है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार का पाकिस्तान पर जवाबी आक्रमण को।
- हालांकि, शशि थरुर को भारत के प्रतिनिधि मण्डल का अध्यक्ष बनाना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, क्योंकि, थरुर विदेशी मामलात की संसदीय समिति के अध्यक्ष वैसे भी हैं।
- पर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार की कार्यवाही की थरुर द्वारा तारीफ करने को उनका निजी विचार बताकर एक तरह से झिड़की दी थी, इसे देखते हुए शशि थरुर को संसदीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाना साधारण बात नहीं लग रही है।
- ओवैसी के अलावा अमेरिका जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के अन्य सदस्य हैं, शमिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवाड़ी, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले व डी. पुरंदेश्वरी है।

के समर्थन को कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि कल कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि थरुर अपने

निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो पार्टी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘स्कूल फीस के निर्धारण के लिये अभी तक रिवीज़न कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ?’

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया और सोमवार को अगली सुनवाई तय की

जयपुर, 16 मई (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव को 19 मई, यानी अगले सोमवार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016 में प्रावधान होने के बावजूद, अभी तक “फीस रिवीज़न कमेटी” का गठन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि प्रमुख शिक्षा सचिव व्यक्तितः या बीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण

- पाठकों को बता दें कि स्कूल फीस की दर तय करने के लिये स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016, के तहत तीन तरह की कमेटियों की अहम भूमिका है। पहली स्कूल फीस कमेटी, जो अध्यापकों और अभिभावकों के प्रतिनिधियों से गठित एक कमेटी होती है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपसी समझौते से स्कूल फीस की दर तय करती है।
- दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष अगर स्कूल फीस के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह डिवीज़न कमेटी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। डिवीज़न कमेटी के फैसले के विरुद्ध आखिरी अपील रिवीज़न कमेटी के समक्ष हो सकती है।

को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। पाठकों को बता दे कि स्कूल

फीस नियंत्रण कानून के अनुसार, हर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में अब जुलाई माह में सुनवाई

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएस जेएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में अब जुलाई माह में सुनवाई करना तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह

- पूर्व आईएस संधू के अधिवक्ता ने बहस पूरी करने के लिये और समय मांगा

आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जेएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, पूर्व आईएस जेएस संधू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने तीसरे दिन भी बहस जारी रखी। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे बहस के लिए पर्याप्त समय ले चुके हैं और दूसरे वकीलों को भी बहस का मौका दिया जाए। इस पर संधू के अधिवक्ता ने कुछ समय के लिए बहस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अवमानना के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक 20 को अदालत में तलब

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को बीस मई को अदालत में पेश होकर बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता को ब्रिज कोर्स करवाकर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुमन कुमारी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक

- शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को पेश होकर बताना है कि अदालत के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई।

सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में भाग लिया था। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी गई कि वह बीएसटीसी न होकर, एनटीटी प्रशिक्षण प्राप्त है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल, 2008 को परिपत्र जारी कर प्रावधान किया कि एनटीटी कोर्स करने वाले छह माह का ब्रिज कोर्स कर बीएसटीसी के समान हो जाएंगे। याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं देने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने चिनाब पर बने सलाल व बागलिहार बाँधों से पानी को नियंत्रित किया

पाकिस्तान में हाय-तौबा मची, सिंधु नदी के सिस्टम से ही पाकिस्तान की सिंचाई की 80 प्रतिशत जरूरत पूरी होती है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया और संभावित रूप से अस्थिर मोर्चा खुल रहा है जो ज़मीन को लेकर नहीं, बल्कि पानी को लेकर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिगड़ने और सीमा पर तनाव बढ़ने की वजह से भारत ने सिंधु नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की सिंचित कृषि भूमि का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है।

भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिनाब नदी पर स्थित सलाल और बागलिहार बांधों से जल प्रवाह में बदलाव किया है। इस कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, और इस्लामाबाद ने तुरंत नई दिल्ली को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि पश्चिमी

- भारत के जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञों का कहना है, इंडस वॉटर ट्रिटी के प्रावधानों के तहत भारत को “नॉन कन्ज़म्पटिव” उद्देश्यों के भारत, इंडस वॉटर सिस्टम के पानी का उपयोग कर सकता है, जैसे हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर हाउस चलाना आदि।

- पर, पाकिस्तान के सिंचाई विभाग को कहना है, अगर सिस्टम में पानी छोड़ने की व्यवस्था व टाईम में कुछ भी परिवर्तन हुआ तो पाकिस्तान का सिंचाई का व खेती का “चक्र” (साइकिल) बुरी तरह प्रभावित होगा। और भारी तबाही मच जायेगी।

- पाकिस्तान की यह गुहार भारत के कानों तक पहुँची है। पर, अभी भारत किसी प्रकार “एडजस्टमेंट” करने के मूड में नहीं है, जब तक “आतंकवाद” के निर्यात की पाकिस्तान की नीति नहीं बदलती।

नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब के प्रवाह में किसी भी प्रकार का व्यवधान

संकट से जुड़ रहा है। यह कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सख्त बयान के बाद आया है:

“आतंक और व्यापार, आतंक और बातचीत, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते।”

इस संदेश जिसे कई लोग बड़ा बदलाव मानते हैं, यह दर्शाता है कि अब भारत जल सहयोग को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ रहा है, जो पहले के उस दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है जिसमें सिंधु जल संधि को राजनीतिक तनाव से अलग रखा जाता था।

जम्मू-कश्मीर में स्थित सलाल और बागलीहार बांधों के गेट इन दिनों बंद करने से चिनाब नदी के पाकिस्तान में प्रवाह में बदलाव आया है। साथ ही, भारत ने पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब, पर कई जलाविद्युत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री आवास पर हाईलैवल मीटिंग

नयी दिल्ली, 16 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार शाम अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया।

मोदी की अध्यक्षता में एक घंटे से अधिक समय तक चला गया में शाह के अलावा विदेश मंत्री ड्राँ एस जयशंकर

- मीटिंग में प्र.मंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे।

और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। इसके अलावा, आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।